राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण बिश्नोई आर.ए.एस)

(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत आकल)

राजस्व आवेदन सं. 323 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी श्री भले कंवर पत्नी सवाईसिंह बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थीनी श्रीमती भले कंवर पत्नी सवाईसिंह निवासी कारटिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि राजस्व गांव कारटिया के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 409 रकबा 28.8217 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, जमाबन्दी संवत् 2075–78, में उनका नाम बालुं कंवर पत्नी श्री सवाईसिंह राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, जबकि उनका शुद्ध नाम बालकंवर पत्नी श्री सवाईसिंह के स्थान पर भले कंवर पत्नी श्री सवाईसिंह है। इस तरह उनका नाम बालकंवर पत्नी श्री सवाई सिंह के स्थान पर भले कंवर पत्नी श्री सवाई सिंह दुरस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 09.10.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थीनी श्रीमति भले कंवर पत्नी श्री सवाई सिंह का राजस्व गांव कारटिया के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 409 रकबा 28.8217 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, जमाबन्दी संवत् 2075–78, में प्रार्थीनी का नाम बालकंवर पत्नी श्री सवाई सिंह के स्थान पर भले कंवर पत्नी श्री सवाई सिंह शुद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
सत्यमेव जयते

(बद्री... ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सेड़वा
दिनांक : 15/10/2025

क्रमांकः– 1333-35

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

01 तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।

02 प्रार्थी श्री भले कंवर पत्नी श्री सवाई सिंह, निवासी कारटिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

03 रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:27:20 IST
Reason: SelfAttested